

### Representation by Meghalaya for trade with Bangladesh

2223 SHRI JERLIE E TARIANG  
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state,

(a) whether Government have received representations from the Government or the people of Meghalaya for opening of trade centres with Bangladesh,

(b) whether Government are aware that the people of Meghalaya have suffered and continue to suffer economically due to partition of India, for want of cheap transport for their cultivations and plantations all along the border with Bangladesh; and

(c) if so, what steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI)

(a) to (c) The Government of Meghalaya have intimated that a proposal for border trade between Meghalaya and Bangladesh will be sent to Government of India on compilation of details from District and Sub-Divisional authorities

The Trade Agreement signed in March, 1972 provides for border trade between India and Bangladesh. This, however, did not become operational and in October, 1972, on the suggestion of Bangladesh, border trade was suspended. The response of the Bangladesh Government has not yet been encouraging.

**विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा गार्डों का प्रदान किया जाना**

2224. श्री रार्सातह भाई पातलीया-  
भाई राठावा : क्या नृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) साधारण नागरिक और विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए पुलिस द्वारा क्या विशिष्ट नियम और प्रक्रिया अपनाई जाती है और जनता के किन

व्यक्तियों को और किन सगठनों के अधिकारियों को विशिष्ट व्यक्ति अथवा अति विशिष्ट व्यक्ति मानकर सुरक्षा गार्ड प्रदान किये जा सकते हैं ,

(ख) दिल्ली में ऐसे कितने विशिष्ट व्यक्ति, अति विशिष्ट व्यक्ति सगठन तथा अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी हैं जिन्हें गत दो वर्षों के दौरान सुरक्षा गार्ड प्रदान किये गये हैं और उसका ब्यौरा क्या है ,

(ग) सुरक्षा गार्ड प्रदान करने का क्या आधार है और क्या इन सेवाओं के लिए उनसे कोई खर्च लिया जाता है ,

(घ) 1.1.1986 से 30.9.1986 तक की अवधि के दौरान सुरक्षा गार्डों के लिए पुलिस आयुक्त, गृह मंत्रालय तथा विभिन्न पुलिस स्टेशनों को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, और

(ङ) इन आवेदनों में से कितने व्यक्तियों को सुरक्षा गार्ड प्रदान किये गये और उन व्यक्तियों को कब तक सुरक्षा गार्ड प्रदान कर दिये जाने की संभावना है, जिन्हें अब तक सुरक्षा गार्ड प्रदान नहीं किये गये ?

**कार्मिक लोक शिकायतों तथा पेशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) :** (क) राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, केन्द्रीय मंत्री, लोक सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति तथा उप-सभापति और देश में आने वाले विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट नियम तथा निर्देश निर्धारित किये गये हैं। अन्य लोगों के मामले में धमकी मिलने के आधार पर सुरक्षा प्रबन्धों की व्यवस्था की जाती है।

(ख) 1985 के दौरान 238 व्यक्तियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गयी है। इस समय, 279 व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की गयी है। दिये गये सुरक्षा प्रबन्धों के ब्यौरे बताना लोकहित में नहीं है।

(ग) धमकी मिलने के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। तदनुसार, इनके मामले में कोई वसूली नहीं की जाती।